नियफौजप्रसं: 694/2021(883/2021) सरकार बनाम भवानीशंकर
निर्णय दिनांक 16.03.2026

न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम– 01 छबडा जिला बारां राज0

पीठासीन अधिकारी	–	संयोगिता, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	–	694/2021
सीआईएस नंबर	–	883/2021
सीएनआर नंबर	–	RJBR070014802021

निर्णय की तारीख 16.03.2026
(प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण– पुलिस थाना छबड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 584/2020 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 504 भा0दं0सं0)

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रवि किशोर जोनवाल
अभियुक्त	भवानीशंकर पुत्र बाबूलाल उम्र 31 निवासी जाटव मोहल्ला लालबाई चोक छबडा जिला बारां राज0।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम शर्मा, विद्वान अधिवक्ता

अपराध की तारीख	14.10.2020
प्रथम सूचना कायमी की तारीख	15.10.2020
आरोप पत्र की तारीख	02.12.2021
आरोप विरचना की तारीख	02.12.2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	29.03.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	16.03.2026
निर्णय तारीख	16.03.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	प्रोबेशन, 16.03.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	भवानीशंकर	–	–	341, 323, 504 IPC	दोषसिद्धि	प्रोबेशन	निल

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

(क)अभियोजन–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

PW-1	सुनील	तहरीरी रिपोर्ट, पुलिस बयान ताईदकर्ता
PW-2	नारायण	नक्शा मौका
PW-3	संजय	पुलिस बयान ताईदकर्ता
PW-4	डॉ0 श्रीलाल मीणा	चिकित्सकीय साक्ष्य
PW-5	रमेशचंद	अनंसंधान कर्ता

(ख)प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

(ग) न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी क्रम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयनी प्रदर्शों की सूची

(क)अभियोजन–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	P1	तहरीरी रिपोर्ट
2	P2	चाक एफ.आई.आर
3	P3	नक्शा मौका
4	P4	चोट प्रतिवेदन मजरूब सुनील
5	P5	पलिस बयान गवाह संजय

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(ग)न्यायालय प्रदर्श–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(घ)वस्तु प्रदर्श–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

निर्णय **दिनांक–16.03.2026**

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.2020 को फरियादी सुनील जाटव ने उपस्थित थाना छबड़ा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 14.10.2020 को रात करीब 9 बजे वह मंदिर के बाहर मोती कॉलोनी में बेठा था। तब शराब के नशे में भवानी आया, उससे पैसे मांगने लगा। उसने मना किया तो उसके साथ गाली गलौच की और पटककर पीटने लगा। उसे घसीटा जिससे बायें पैर पर चोट आ गयी....... इत्यादि।

02– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना छबड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 584/2020 अपराध अंतर्गत धारा **323, 341 भारतीय दंड संहिता** में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त **भवानीशंकर** के विरूद्ध धारा **341,323,504 भारतीय दंड संहिता** में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराध की धाराओं में आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया।

03– इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त **भवानीशंकर** के विरूद्ध धारा **341, 323, 504 भारतीय दंड संहिता** के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त **भवानीशंकर** को धारा **341, 323, 504 भारतीय दंड संहिता** का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे

सुन समझकर अभियुक्तगण ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04— दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 लगायत पी ड0 5 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 5 को प्रदर्शित कराया गया।

05— बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना जाहिर किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार किया। जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

06— बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया गया ।

07— बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

08— जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया गया।

09— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिश्चय हेतु निम्न अवधार्य बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है कि —

01. क्या अभियुक्त भवानीशंकर ने दिनांक 14.10.2020 को रात के करीब 9 बजे माल मौजा मोती कॉलोनी मंदिर के बाहर पुलिस थाना छबड़ा में फरियादी/आहत सुनील, को आड़े फिरकर रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उक्त आहत के साथ स्वेच्छया कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहतियां कारित की तथा फरियादी के साथ

गाली–गलौच कर उन्हें प्रकोपित किया जिससे कि लोकशांति भंग हुई?

02. यदि हां, तो अभियुक्त का उचित दंड क्या होगा ?

10– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन को प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यु. 1 लगायत 5 को परीक्षित करवाया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 5 को प्रदर्शित करवाया है। उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु के संबंध में अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री का विवेचन इस प्रकार है कि फरियादी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट करना बताता है। उक्त फरियादी सुनील पी0 डब्लू0 01 मुख्य परीक्षण के कथनों में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 की अक्षरशः ताईद में कथन करता है तथा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। प्रतिपरीक्षण में गवाह जाहिर करता है कि वह और अभियुक्त पडोसी हैं। वह कभी–कभी शराब पी लेता है। यह गलत है कि उसने शराब पी रखी थी। उसने भवानी से कभी पैसे उधार नहीं लिये। भवानी के मारपीट में लगी या नहीं उसे पता नहीं। भवानी ने ही उसे मारा है। तहरीरी रिपोर्ट थाने में जाकर लिखवायी थी। जिस दिन तहरीरी रिपोर्ट दी उसी दिन पुलिस ने बयान लिये थे। उसके पैर में चोट आयी थी। यह गलत है कि दोनों की लूमा–झूमक में उसके चोट आयी हो।

11– गवाह पी0 डब्लू0 02 नारायण नक्शा मोका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 उसके सामने बनाने के कथन करता है तथा उस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कुछ नहीं पता, उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे।

12– गवाह पी0 डब्लू 03 संजय उर्फ बहत्तर घटना के बारे में जानकारी होने से इंकार करता है। उक्त गवाह अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित होकर जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का

ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताता है।

13— उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करने पर जाहिर आता है कि फरियादी सुनील के मुख्य परीक्षण के कथन उसके प्रतिपरीक्षण में पूर्णत अखंडित रहे हैं जिससे कि फरियादी द्वारा अभियोजन मामले में अक्षरतः ताईद की गई है। फरियादी का इस आशय का कोई कथन नहीं रहा है कि वक्त घटना गवाह संजय भी मौजूद रहा हो जिससे कि उक्त गवाह का साक्ष्य में घटना बाबत् अनभिज्ञता जाहिर करना अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

14— फरियादी को चोटों की पुष्टि मे चिकित्सकीय अधिकारी डॉ श्रीलाल मीणा ने मुख्य परीक्षण में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 की पुष्टि में कथन किये हैं तथा फरियादी को साधारण प्रकृति की चोटें आना बताया है। प्रतिपरीक्षण में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह को अनुमान रूपी सुझाव मात्र दिया गया है जिसे गवाह ने यह स्वीकार किया है कि चोटें गिरने पडने से आ सकती है। किंतु इस आशय का कोई सुझाव अभियुक्त पक्ष द्वारा फरियादी को नहीं दिया गया है जिससे कि चिकित्सकीय अधिकारी की साक्ष्य पूर्णतः अखंडित रहकर अभियोजन पक्ष को बल प्रदान करती है।

15— अनुसंधान अधिकारी रमेशचंद पी0 डब्लू0 05 द्वारा भी मुख्य परीक्षण में सम्पूर्ण अनुसंधान की ताईद में कथन करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित माना है। प्रतिपरीक्षण में गवाह के कथन पूर्णतः अखंडित रहे है।

16— इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेज भी अभियोजन पक्ष की कहानी को ही प्रमाणित करते हैं। इन सब के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जो अभियोजन पक्ष की कहानी या पक्षकथन पर किसी प्रकार से तनिक मात्र भी सन्देह उत्पन्न करती हो।

17— अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के

विरूद्ध अपना मामला संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल हुआ है कि **अभियुक्त भवानीशंकर ने दिनांक 14.10.2020 को रात के करीब 9 बजे माल मौजा मोती कॉलोनी मंदिर के बाहर पुलिस थाना छबड़ा में फरियादी/आहत सुनील, को आड़े फिरकर रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उक्त आहत के साथ स्वेच्छया कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया उपहतियां कारित की तथा फरियादी के साथ गाली–गलौच कर उन्हें प्रकोपित किया जिससे कि लोकशांति भंग हुई।** अतः अभियुक्त **मोरपाल** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>::–आदेश::–</u>

18– अतः अभियुक्त **भवानीशंकर पुत्र बाबूलाल उम्र 31 निवासी जाटव मोहल्ला लालबाई चोक छबडा जिला बारां राज0** को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

19– अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक कराएंगे जो कि बाद कराने तस्दीक आगामी 06 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कम– 01 छबडा जिला बारां राज.

<u>दंड के बिन्दु पर सुनवाई–</u>

20– दंड के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, पूर्व दोषसिद्धि का उनके विरूद्ध

कोई रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, प्रकरण पुराना है। अभियुक्त अपने परिवार में एक मात्र खाने कमाने वाले सदस्य हैं, उसके जेल में रहने से उनके बच्चों के भुखे मरने की नौबत आ जाएगी। अतः उसे परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया। जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

21— सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियुक्त वर्ष 2021 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। ऐसी दशा में प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों तथा साबित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

— : : आदेश : : —

22— अतः अभियुक्त **भवानीशंकर पुत्र बाबूलाल उम्र 31 निवासी जाटव मोहल्ला लालबाई चोक छबडा जिला बारां राज0** को अपराध अंतर्गत धारा— **341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता** में पारित दोषसिद्धि के फलस्वरूप तुरन्त कारावास से दण्डित ना कर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) का लाभ प्रदान किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये दस हजार रूपये का जमानत मुचलका इन शर्तों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुप्रमाणित करा दे कि वह उक्त अवधि में सदाचारी बना रहेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, परिशान्ति कायम रखेगा तथा इसमें व्यतिक्रम किये जाने पर न्यायालय के द्वारा आहूत किये जाने पर दण्ड भुगतने के लिये न्यायालय में उपस्थित होगा तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावें।

23— साथ ही अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त बतौर अभियोजन व्यय **500/— रूपए (अक्षरे पांच सौ रूपए)** न्यायालय में जमा करायें।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम— 01 छबडा जिला बारां राज.

24— आदेश आज दिनांक **16.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम— 01 छबडा जिला बारां राज.